



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239819  
CG-DL-E-21102022-239819

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4782]  
No. 4782]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 2022/आश्विन 29, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022/ASVINA 29, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4999(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करती है। सक्षम प्राधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के तहत उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में भारत माला चरण- II के तहत पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेस (ग्रीन फील्ड संरेखण) के निर्माण के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुका / तहसील और गांवों से संबंधित।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में भारत माला चरण- II के तहत पुणे-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड संरेखण) के लिए भूमि अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपविभागीय अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	महाराष्ट्र	सांगली	खानापूर	1 माहुली

राजेश गुप्ता, निदेशक

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Divisional Officer, Vita, Sub Division, Khanapur	126.57KM To 150.1KM	MAHARASHTRA	SANGLI	Khanapur	1	Mahuli
						2	Walkhad
						3	Wajegaon
						4	Bhendevade

						5	Salshinge
						6	Jondhalkhindi
						7	Madhalmuthi
						8	Wasumbe
						9	Renavi
						10	Revangaon
						11	Ghoti (BK)
						12	Ghoti (KH)

[F. No. NHAI/PIU/Pune/Pune-Bangalore/3a2]

RAJESH GUPTA, Director